फर्द अहकाम

सोहननारायण बनाम हल्की डिमाण्ड श्रेणी

...म न्यायालय

...म संख्या 221/2024

...संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/7/24	पत्रावली पेश हुई। माननीय न्यायालय RAA से प्राप्त हुई। वकील उपस्थित। अतः पत्रावली वास्ते बहस आदेश उपस्थित रहे। दिनांक 2/8/24 को पेश हो। पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	2/8/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/8/24 को पेश हों।	
	14/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। उभय प्रतिवादी/अप्रार्थी बहस T.I सुनी गई। संबंधित दस्तावेजात अभिलेख 90A से संबंधित बहस T.I पेश करना चाहते हैं वास्ते बहस T.I पेश करना दिनांक 23/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	14/8/24
	23/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। उपस्थित ने उक्त पुनः प्रकरण में गई वास्ते बहस T.I सुनी। दिनांक 30/8/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	30/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर रिकार्ड हो वाद तामील हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, (सांगानेर), जयपुर

प्रार्थना पत्र सं. 221/2024
निर्णय दिनांक 30/8/2024

1. सत्यनारायण सैनी पुत्र स्व० श्री सेडूराम सैनी जाति माली उम्र 37 वर्ष, निवासी चौधरी पेट्रोल पम्प के पीछे, तुलसी नगर, सांगानेर जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 31, गणेश विहार-बी, परणनदी द्वितीय, नाडी का फाटक, जयपुर (राज०)

—प्रार्थी

1. हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिए अध्यक्ष/मंत्री/संचालक नवल किशोर शर्मा पुत्र श्री गेंदीलाल शर्मा पता- डी-20, मीरा मार्ग, दुग्ध मिष्ठान भंडार के पीछे, बनी पार्क, जयपुर
2. तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर (राज०)
3. उप पंजीयक महोदय, सांगानेर, जिला जयपुर (राज०)

— अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी.
एवं धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

दिनांक 30/8/2024

प्रार्थी ने पूर्व मे उक्त के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका प्रार्थना पत्र संख्या 141/2018 था जो वाद पत्र के साथ संलग्न है, जिसका निस्तारण 25/1/2019 को किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे वाद पत्र मे आगामी पेशी 06.02.2020 नियत है वाद अभी भी विचाराधीन है दिनांक 26/1/2020 से अप्रार्थीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर मौके पर निर्माण कार्य कर रहे है, जबकि अभी तक भूमि का विभाजन घोषणा एंव तकसमा होना शेष है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 4030, 4031, 4032, 4033 व 4034 कुल किता 5 रकबा 1.03 हे० वाके ग्राम सांगानेर, जिला जयपुर मे अप्रार्थी गैर कानूनी एंव अवैध रूप से मकानातो का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी सूरत मे अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक [illegible] स्थिति मे अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया [illegible] का स्वरूप बदल जायेगा [illegible] होगी। इसलिए एंव वाद के निर्णय [illegible] की स्थिति बनाये रखे जाना वादग्रस्त सम्पत्ति के मौके [illegible] आवश्यक है। पूर्व मे निस्तारित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 25/1/2019 के बाद प्रकरण के तथ्यो

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:34 IST
Reason: SelfAttested

परिस्थितियो मे बदलाव व परिवर्तन होने के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। दौराने वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी; प्रार्थी बेवजह कानूनी पेचिदगियो मे उलझ जायेगा। इस प्रकार क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने मे कोई असुविधा नही होगी, जबकि यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय दावा पेश करने का उद्देश्य ही फौत हो जायेगा तथा अप्रार्थीगण अपने नापाक मनसूबो मे कामयाब हो जायेगे जिससे प्रार्थी को अत्यधिक असुविधा होगी। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक मे है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि ताफैसला वाद प्रार्थी की पैतृक विरासत की आराजी ख०न० 2030, 4031, 4082, 2038 व 4084 कुल किता 5 रकबा 1.03 हे० वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रार्थी के पिता स्व० श्री सेडूराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 मे से प्रार्थी के विरासत से प्राप्त हिस्से व प्रार्थी की बहिनो के द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक-त्याग पत्र से प्राप्त हिस्से पर प्रार्थी को उपयोग उपभोग मे कोई बाधा व अड़चन नही पहुँचाये तथा सम्पत्ति के कानूनी विभाजन (तकासमा) तक किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द, विक्रय, इत्यादि द्वारा दीगर व्यक्ति को बेचान नही करे एवं ना ही नव-निर्माण करवाये व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तथा अप्रार्थी सं. 1 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31/1/20 द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता स्व० श्री सेडूराम सैनी ने अपने स्वामित्व की कृषि भूमि का बेचान अपने जीवन काल मे अप्रार्थी सं. 1 समिति को दिनांक 01/05/1981 को कर दिया तथा अपने हिस्से की भूमि का कब्जा अप्रार्थी को सुपुर्द कर दिया तथा विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर लिया था। अप्रार्थी संस्था ... पर तुलसी नगर विस्तार आवासीय योजना सृजित ... मे विभक्त ... कर अपने सदस्यो को आवंटन ... मय परिवार मे निर्माण कर बिजली ... का ... निवास कर रहे है इस प्रकार प्रार्थी व उसकी माता का उक्त भूमि मे कोई संबंध व सरोकार हक या हिस्सा शेष नही रहा है। वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नही होता

—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:34 IST
Reason: SelfAttested

बल्कि वादग्रस्त भूमि आवासीय योजना कट चुकी है। अप्रार्थी की आवासीय योजना तुकाराम नगर विस्तार मेन सेक्टर रोड पर स्थित है जिसकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गयी है तुकाराम नगर विस्तार की भूमि राजस्व रिकार्ड में आज भी सेडूराम के नाम चली आ रही है प्रार्थी के मन में बेईमानी के कारण व राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 को व उनके सदस्यों को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रस्तावित तुकाराम नगर विस्तार में प्रार्थी का भूखण्ड संख्या 28 सी अंकित किया गया था जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रार्थी के पिता ने उनके स्वामित्व की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 को विक्रय कर दिया था वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत पारित कर रखा है कि "नो पजेशन नो इन्जेक्शन" इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी का वादग्रस्त सम्पत्ति से कोई संबंध व सरोकार नहीं है एवं प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के एक इंच भाग पर भी काबिज नहीं है प्रार्थी के पिता सेडूराम ने अपने स्वामित्व की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय कर दिया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के भूखण्डधारी काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रार्थी के हक में कोई सुविधा का सन्तुलन नहीं है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर न्यायालय द्वारा 13/3/2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31/1/2020 को जारी T.I को अपास्त किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 एवं योजना के भूखण्डधारियों को पाबन्द किया जाकर ख0न0 870 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा मेंसे 2.5 बिस्वा जमीन जो प्रार्थी के हक पूर्वाधिकारी को छोड़ी गई थी पर कब्जा नहीं करे तथा ना ही निर्माण करे के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश दिनांक 13/3/20 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 RTAct के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपील संख्या 189/2020 उनवान सत्यनारायण बनाम धरोई गटी में अपने निर्णय दिनांक 18/1/24 को अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/3/2020 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे दिनांक 6/2/24 को उभयपक्षों की सुनवाई कर 60 दिवस में उपरोक्त ऑब्जरवेशन के [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निर्धारित तत्वों यथा प्रथम [illegible], सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय [illegible] पुनः विधिसम्मत करे तब तक उभयपक्ष [illegible] आराजीयात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की [illegible] बनाये रखे के आदेश दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे कहा है कि विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे प्रार्थी के पिता सेडूराम द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक मे कोई बेचान नही किया गया है। इकरारनामा फर्जी है न ही अप्रार्थी संख्या 1 का तथाकथित कब्जा है। विवादग्रस्त भूमि को सुरक्षित रखने व वाद भूमि पर कब्जा अतिक्रमण को रोकने के लिये विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस मे कहा है कि प्रार्थी के पिता स्व० सेडूराम द्वारा अपने स्वामित्व की कृषि भूमि का बेचान दिनांक 01/05/1981 को कर दिया गया था और सेडूराम ने अपने हिस्से की भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 को सम्भला दिया था तथा समस्त विक्रय प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर ली थी। अप्रार्थी सं. 1 ने क्रयशुदा भूमि पर हनुमान नगर विस्तार आवासीय योजना विकसित कर जमीन को भूखण्डों मे विभक्त कर अपने सदस्यों को आवंटित कर दी है, जिस पर अप्रार्थी सं. 1 के आवंटनधारी मकानात बनाकर बिना किसी बाधा के मय परिवार निवास कर रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 को विक्रय की गयी भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। अप्रार्थी सं. 1 के भूखण्डधारियों को परेशान करने एवं अवैध रूप से वसूली करने की नीयत से काफी वर्षों बाद दावा/प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करते समय प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का पूर्ण विवेचन किया जाना आवश्यक है।

प्रथमदृष्टया केस :- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र 212 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा राज० काश्त० अधिनियम O 39 R 4 CPC एवं धारा 151 CPC मे दर्ज बिन्दुओ को वकील प्रार्थी द्वारा दोहराया गया जिसमे उन्होने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख० न० 4030, 4031, 4032, 4033 व 4034 कुल किता 5 रकबा 1.03 है० मे प्रार्थी के पिता स्व० श्री सेडूराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 बाबत जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर मे दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 का कथन है कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता स्व० श्री सेडूराम द्वारा अपने हिस्से स्वामित्व की भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 1/5/1981 द्वारा बेचान कर दिया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के स्व० पिता सेडूराम ... की बहिस्सा बराबर की संयुक्त खातेदारी ... तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 24/12/2019 के अनुसार भी जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 मे विवादग्रस्त भूमि सेडूराम पुत्र रामू हिस्सा 1/2 व हीरालाल पुत्र रामू हिस्सा 1/2 जाति माली के

—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:34 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान् मे वर्तमान मे तुलसीनगर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है प्रार्थी के पिता सेडूराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित इकरारनामा बिगोती दिनांक 2/8/1982 किया गया है, जिसको प्रार्थी फर्जी होना कथन रहा है उक्त इकरारनामे मे पूर्व मे दिनांक 1/5/1981 को लिखे गये पूर्व इकरारनामे का उल्लेख किया गया है। इस तथाकथित इकरारनामा बिगोती; जो कि अनरजिस्टर्ड है, के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 को किस हद तक विवादग्रस्त भूमि मे अधिकार अर्जित होते है अथवा नही इसका निर्णय मूल वाद के अन्तिम निस्तारण के वक्त ही किया जा सकेगा। प्रथम दृष्टया अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी संख्या-1 का कोई अधिकार अर्जित होना प्रतीत नही होता है चूंकि प्रार्थी के स्व० पिता विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं सेडूराम की मृत्यु के पश्चात स्व० सेडूराम के अधिकार उनके वारिसान मे निहित हो गये है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है यह बिन्दु वादी/प्रार्थी के पक्ष मे व प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :-

जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 वाके ग्राम सांगानेर मे वादग्रस्त भूमि सेडूराम पुत्र रामू हिस्सा 1/2 व हीरालाल पुत्र रामू हिस्सा 1/2 जाति माली नाम दर्ज है। चूंकि प्रार्थी के स्व० पिता विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। एवं सेडूराम की मृत्यु के पश्चात स्व० सेडूराम के अधिकार उनके वारिसान/प्रार्थी मे निहित हो गये है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाये जाते है यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे व अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

अपूर्तनीय क्षति :-

चूंकि प्रार्थी के पिता के नाम 1/2 हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 वाके ग्राम सांगानेर के रिकार्डेड खातेदार दर्ज है चूंकि प्रार्थी के स्व० पिता सेडूराम विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं सेडूराम की मृत्यु के पश्चात स्व० सेडूराम के अधिकार प्रार्थी को निहित हो गये है इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे पाई जाती है यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे व अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 वाके सांगानेर तहसील सांगानेर मे वादग्रस्त भूमि सेडूराम पुत्र रामू हिस्सा 1/2 व [illegible] 1/2 जाति माली नाम दर्ज है चूंकि प्रार्थी के स्व० पि[illegible] भूमि के रिकार्डेड खातेदार दर्ज राजस्व [illegible] मृत्यु के पश्चात स्व० सेडूराम के अधिकार उनके [illegible] सान/प्रार्थी मे निहित

—लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

[..] गये है। तथा तथाकथित इकरारनामा बिन्दौली, जो कि अनरजिस्टर्ड है, के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 को किस हद तक वादग्रस्त भूमि [..] अधिकार अर्जित होते है अथवा नहीं। इसका निर्णय मूल वाद के अन्तिम निस्तारण के वक्त ही किया जा सकेगा। प्रथम दृष्ट्या अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 को कोई अधिकार अर्जित होना प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे पाये जाते है। ऐसी स्थिति मे विवादग्रस्त भूमि मे खातेदारान् के हितो की रक्षा के लिए, भूमि की सुरक्षा, संरक्षा तथा वाद बाहुल्यता को दृष्टिगत रखते हुऐ मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 4030, 4031, 4032, 4033 व 4034 (कुल किता 5 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर को ता-फैसला दावा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजी पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली निर्णय से कम होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दि0 30/8/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:34 IST
Reason: SelfAttested